वर्ष 2025
अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि–

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के लागू होने के दिनांक से प्रत्येक लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए निर्मित अधिनियम की सफलता हेतु जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के लिए इस हस्तपुस्तिका की मुख्य भूमिका है।

उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की संक्षिप्त विचारण द्वारा उपभोक्ता न्याय के वैकल्पिक प्रणाली के लिए प्राविधान करना है। इस पुस्तिका द्वारा उक्त सभी तथ्यों को सरल रूप से सूचनार्थ प्रकाशित कर उपलब्ध करायी गयी हैं।

1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य–

इस हस्तपुस्तिका का प्रकाशन लोक हित में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना देने के उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि सभी लोक को सरल रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य, लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा धारित अथवा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश एवं निर्देशिकाओं ,नीति बनाने या कार्यान्वयन आदि के सम्बन्ध में समस्त दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन है के साथ–साथ लोक सूचना अधिकारी के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ तथा उनके द्वारा निर्णय करने की प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व से सम्बन्धित समस्त सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

1.3 यह हस्तपुस्तिका निम्न व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है–

यह हस्तपुस्तिका भारत गणराज्य के समस्त नागरिकों, जनपद में स्थित समस्त सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों संगठनों व अन्य सभी जरूरतमंदों के लिये सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता आयोग चम्पावत के कार्यालय से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोगी है।

1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप–

संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में सूचनात्मक है।

1.5 परिभाषायें–

1– सूचना अधिकार अधिनियम–2005 से सम्बन्धित–

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1)और उपधारा (2),धारा 12 2,धारा 13, धारा 15धारा 16, धारा 27 और धारा 28 के उपबन्ध तुरन्त प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन में प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषायें –इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) समुचित सरकार से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो

1. केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन ,नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है ,केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है,

2. राज्य सरकार द्वारा स्थापित ,गठित उसके स्वामित्वाधीन ,नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है ,राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ख) केन्द्रीय लोक सूचना आयोग से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ,

(च) सूचना से किसी इलेक्ट्रानिक रूप मे धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल,सलाह,प्रेसविज्ञप्ति परिपत्र,आदेश,लागबुक,संविदा,रिर्पोट,कागजपत्र,नमूने

माडल ,ऑकडों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित ,जिस तक सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है ,किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है,

2– उपभोक्ता संरक्षरण अधिनियम से सम्बन्धित–

(क) "अधिनियम" से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 (1986का 68) अभिप्रेत है ।

(ख) "उपभोक्ता आयोग "से कोई जिला आयोग, धारा 9 के खण्ड (ख) के अधीन किसी राज्य में स्थापित कोई उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात राज्य आयोग कहा गया है) या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है ,

(ग) "रजिस्ट्रार" से उपभोक्ता आयोग के अनुसचिवीय स्थापन का अध्यक्ष अभिप्रेत है, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य करता है जो उसे उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त किए जाते हों,

(घ) "नियमों " से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है,

(ड.) "विरोधी पक्षकार "से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिवाद या दावे को उत्तर देता है

(च) "धारा " से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ,

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और इसमें कहीं परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु या तो अधिनियम या नियमों में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति , अधिनियम या नियमों में कमशः उनके हैं।

1.6 **हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के संम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये सम्पर्क व्यक्ति–**

1.लोक सूचना अधिकारी/सदस्य, कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चम्पावत।

2.सहायक लोक सूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चम्पावत।

फोन नं0 05965–230170, फैक्स नं0 05965–230632।

3– हस्त पुस्तिका में समाहित विषयों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचना लोक सूचना अधिकारी/सदस्य, कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चम्पावत तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी/रीडर, कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चम्पावत चम्पावत से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तिका में उपलब्ध करायी गयी सूचना के अतिरिक्त यदि किसी अन्य

प्रकार की सूचना जो कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन हो, जिला उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, चम्पावत से प्राप्त की जा सकती है। यदि नागरिक सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे अधिनियम की धारा–6 (1) में निहित व्यवस्था के तहत उसे हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा इसके लिए निर्धारित किया गया शुल्क भी अधिनियम की धारा–7(5) में किये गये प्रावधान के अधीन भुगतान करना होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्धारित व्यवस्थानुसार सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी।

यदि नागरिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उपभोक्ता संरक्षण में लम्बित वादों से सम्बन्धित किसी अभिलेख या अन्य प्रकार के दस्तावेजों की प्रतिलिपि की वॉछना करता है तो उसे इस अधिनियम में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत निमयानुसार निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करने पर ही प्रतिलिपि दी जा सकेगी।

30.05.2025

सदस्य,
जिला उपभोक्ता आयोग,
चम्पावत।

अध्याय–02(मैनुअल–1) वर्ष 2025
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1– लोक प्राधिकरण के उद्देश्य– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण व उपभोक्ता परिवादों का समयान्तर्गत निस्तारण करना है।

2.2– लोक प्राधिकरण का मिशन– उपभोक्ताओं के हितों का रक्षा करना एवं उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना।

2.3– लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के सभी उपबन्धो का लागू किया जाना।

2.4– लोक प्राधिकरण के कर्तव्य– न्यायिक संरक्षण प्रदान करना।

2.5– लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य– उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण करना।

2.6– लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण– उपभोक्ता परिवादों को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय दिलाना।

2.7– लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि)पर संगठनात्मक ढांचा(जहां लागू हो)– जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।

2.8– लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं–

2.9– जन सहयोग सुनिश्चित करने की लिए विधि/व्यवस्था–

2.10– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था– जनपद स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग का गठन कर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करना।

2.11– मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालय के पते (जनपदवार वर्गीकरण)– जिला उपभोक्ता आयोग, जिला न्यायालय परिसर, चम्पावत।

2.12– कार्यालय खुलने का समय– 10:00 बजे प्रातः
कार्यालय बन्द होने का समय– 05:00 बजे सांय।

30.05.2025

सदस्य,
जिला उपभोक्ता आयोग,
चम्पावत।

सदस्य
जिला उपभोक्ता आयोग
चम्पावत

अध्याय–03 (मैनुअल–2) वर्ष 2025
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य,

3–1 निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शक्ति एवं कर्तब्य का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

1.

पद का नाम – अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग, चम्पावत ।

शक्तियॉ	प्रशासकीय	1– अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण। 2– कर्मचारियों के वार्षिक कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक चरित्र पंजिकाओं की वार्षिक प्रविष्टि संबंधी आदि कार्य। 3– कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन का कार्य। 4– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं माननीय राज्य आयोग तथा शासन के निर्देशों का अनुपालन कराना ।
	वित्तीय	1– जिला उपभोक्ता आयोग से सम्बन्धित समस्त आहरण एवं वितरण का अधिकार । 2– कार्यालय व्यय, वेतन, मानदेय, यात्रा भत्ता टेलीफोन आदि का आहरण एवं वितरण से सम्बन्धित कार्य । 4– परिवादों में प्राप्त वाद शुल्क, दस्तावेज शुल्क एवं नकल शुल्क को शासकीय मद में जमा करवाना आदि ।
	अन्य	जिला उपभोक्ता आयोग में प्राप्त परिवादों का निस्तारण करना एवं अनुपालन सुनिश्चित करवाना, तथा अधिनियम का प्रचार प्रसार करवाना ।
कर्तव्य		1. उच्चधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करना । 2. वादकारियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिये गये मापदण्डों/नियमों के आधार पर न्याय दिलाना। 3. शासनादेशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

30.05.2025

सदस्य,
जिला उपभोक्ता आयोग,
चम्पावत।

जिला उपभोक्ता आयोग

पद का नाम—सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चम्पावत।

1—	जिला उपभोक्ता आयोग, चम्पावत।	पुरूष सदस्य। माह नवम्बर 2021 में नियुक्त	जिला आयोग के अध्यक्ष को आयोग में प्राप्त वादों में निर्णय एवं आदेश पारित करने में सहायक की भूमिका पूर्ण करना ।
2—	जिला उपभोक्ता आयोग, चम्पावत।	महिला सदस्य। माह नवम्बर 2021 में नियुक्त	जिला आयोग के अध्यक्ष को आयोग में प्राप्त वादों में निर्णय एवं आदेश पारित करने में सहायक की भूमिका पूर्ण करना।
3— कर्मचारियों का कर्तव्य का विवरण **पद का नाम**			
3—	जिला उपभोक्ता आयोग, चम्पावत।	प्रशासनिक अधिकारी	जिला उपभोक्ता आयोग के कार्यो की देख—रेख, पेशी से सम्बन्धित पत्राचार, नये उपभोक्ता परिवादों को कार्यालय आख्या सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना, सेवा पुस्तिका में वार्षिक प्रविष्टि अंकन करना एवं लेखा सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यो की देख—रेख करना, आदि।
3—	जिला उपभोक्ता आयोग, चम्पावत।	वैयक्तिक सहायक	वैयक्तिक सहायक के पद हेतु निमित्त समस्त कार्यों का सम्पादन तथा जिला उपभोक्ता आयोग के मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त आदेशों का अनुपालन, आदि।
4 —	जिला उपभोक्ता आयोग, चम्पावत।	कनिष्ठ सहायक माह नवम्बर 2023 से नियुक्त	जिला आयोग से सम्बन्धित समस्त रजिस्टरों का रख—रखाव, परिवाद दर्ज करना, नोटिस का प्रेषण, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरण तैयार करना, वेतन, मानदेय, कार्यालय व्यय, लेखन, जी0पी0एफ0लेजर, कोषागार सत्यापन, नकलें तैयार करना तथा डाक प्रेषण आदि दस्तावेजों से प्राप्त शुल्क को शासकीय मद में जमा करना, आदि।
5—	जिला उपभोक्ता आयोग, चम्पावत।	अनुसेवक	चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्धित समस्त कार्य।

30.05.2025

सदस्य,
जिला उपभोक्ता आयोग,
चम्पावत।

सदस्य
जिला उपभोक्ता आयोग
चम्पावत

अध्याय–4 (मैनुअल–3) वर्ष 2025
कृत्यों क निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

4–1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराऐं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें)।

अभिलेख का नाम– परिवादों से सम्बन्धित अभिलेख।

अभिलेख का प्रकार– परिवादों से सम्बन्धित अभिलेख।

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय– इसके अन्तर्गत जिला आयोग में उपभोक्ताओं द्वारा दायर होने वाले उपभोक्ता परिवाद, निष्पादन परिवाद एवं प्रकीर्ण परिवाद आदि हैं।

नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका, और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं

पता–जिला उपभोक्ता आयोग,चम्पावत।
दूरभाष संख्या– 05965230170
फैक्स– 05965230632
ई0 मेल– confo-cp-ut@nic.in

नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क–

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांकित 31 मई, 2005 के प्रस्तर 21 (5) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत

प्रमाणित प्रति 1– आदेश की एक प्रति अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन पक्षकारों को निःशुल्क दी जायेगी ।

2– यदि कोई पक्षकार किसी अतिरिक्त प्रति की अपेक्षा करता है तो वह उसे पृष्ठों की संख्या पर ध्यान दिये बिना **बीस रूपए** के संदाय पर प्रमाणित करके दी जायेगी ।

3– उपभोक्ता आयोग की फाइल पर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की वॉछा करने वाला कोई पक्षकार **बीस रूपए** प्रत्येक प्रति की प्रमाणन फीस के संदाय पर उसे प्राप्त कर सकेगा ।

परन्तु यदि किसी ऐसे दस्तावेज के जिसकी प्रमाणित प्रति चाही गई है, पृष्ठ 5 से अधिक है तो **20 रूपए** के अतिरिक्त 1 रूपए प्रति पृष्ठ की अतिरिक्त रकम प्रभारित की जायेगी ।

30.05.2025

सदस्य,
जिला उपभोक्ता आयोग,
चम्पावत।

सदस्य
जिला उपभोक्ता आयोग

अध्याय–6 (मैनुअल–5) वर्ष 2025

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो क अनुसार विवरण।

क0 सं0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के लिए उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/ नियन्त्रणाधीन
1.		1.परिवादों के मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक सूचनाओं के प्रेषण से सम्बन्धित पत्रावलियां	जॉच के लिए उपलब्ध	आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क अदा करने पर	कार्यालयध्यक्ष/ प्राशासनिक अधिकारी
		2.आकस्मिक अवकाश स्वीकृति पंजिका	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		3.आकस्मिक अवकाश स्वीकृति पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	प्रशासनिक अधिकारी
		4.कार्यालय आदेश पत्रावली	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		5.पत्र प्राप्त एवं प्रेषण पंजिकायें	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		6.परिवादों के दर्ज पंजिकायें	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		7. निस्तारित वादों के दर्ज पंजिकायें	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		8.अधिष्ठान पत्रावली	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		9.शासनादेशों/अधिसूचना संबंधी पत्रावली	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		10. कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		11. अध्यक्ष/सदस्यों की उपस्थिति पंजिका	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		12. बजट प्राप्त पत्रावलियां	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		13. वेतन बाउचर पावलियां	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		14. बजट पंजिका	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		15. कैस बुक पंजिका आदि	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी
		16 रिकार्ड में रखे गये परिवाद निस्तारित पत्रावलियां आदि।	–तदैव–		प्रशासनिक अधिकारी

30.05.2025

सदस्य,
जिला उपभोक्ता आयोग,
चम्पावत।

जिला उपभोक्ता आयोग
चम्पावत

अध्याय–8 (मैनुअल–7) वर्ष 2025

लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

8.1 लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों ,सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेंट अथोरिटी के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत है ।

लोक प्राधिकरण का नाम : सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क0 सं0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री लक्ष्मी प्रसाद बहुगुणा	प्रशासनिक अधिकारी	05965	230170	9411392643	230632	confo-cp-ut@nic.in	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय परिसर , चम्पावत।

लोक सूचना अधिकारी :

क0 सं0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यालय	आवास			
2.	श्री आलोक पाण्डेय	पुरूष सदस्य,	05965	230170	–	230632	confo-cp-ut@nic.in	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय परिसर , चम्पावत

विभागीय अपीलेंट अथोरिटीः

क0 सं0	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यालय	आवास			
3.	श्री राजीव कुमार खरे	अध्यक्ष	05965	230170	–	230632	confo-cp-ut@nic.in	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय परिसर ,चम्पावत

30.05.2025

सदस्य,
जिला उपभोक्ता आयोग,
चम्पावत।

सदस्य
जिला उपभोक्ता आयोग
चम्पावत